<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री डी0 पी0 आर0 फूडस प्रा0 लि0, अनूपशहर रोड, बुलन्दशहर ।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**60 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सुशील कुमार बन्सल, अधिवक्ता ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-60 / 11, दिनांक 20.06.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **मटर दाल से निर्मित बेसन** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री सुशील कुमार बन्सल, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि मटर दाल से निर्मित बेसन की बिक्री का कारोबार किया जाता है अत: इस पर कर की दर जाननी चाही गयी है। यह भी अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-36 के अन्तर्गत बेसन कर मुक्त है अत: क्या उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत मटर दाल से निर्मित बेसन आयगा अथवा नहीं तथा इस पर कर की दर क्या होगी ।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-36 निम्नवत है :-

36	Bun , rusk, bread excluding pizza bread; Atta, Maida, Suji, **Besan**; Gur, jaggery & edible variety of rab gur (*vide Noti.no.-KA.NI-2-67/XI-9(1)/08....dated10-01-08 effective from 1-1-08)* and Khandsari (*vide Noti.no.-KA.NI-2-570A/XI-9(1)/08....dated 04-03-08 effective from 1-1-08)*; Porridge; Honey and beehive (*vide Noti.no.-KA.NI-2-1021/XI-9(1)/08....dated 09-04-08 effective from 09-04-08);* Sugar as defined in section 14 of the Central Sales Tax Act,1956. (*vide Noti.no.-KA.NI.-2-3025/XI-9(1)/08.....dated 24-10-08 effective from 24-10-08)*

4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, बुलन्दशहर सम्भाग द्वारा अपने पत्रांक-216, दिनांक 05.07.11 एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, बुलन्दशहर के पत्र संख्या-228, दिनांक 04.07.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गई है जिसके अनुसार बेसन शब्द किसी शब्दकोष में परिभाषित नहीं है तथा कामन पारलेन्स में चने को जब पीस दिया जाता है तो इस प्रकार निर्मित पाउडर ही बेसन कहलाता है और किसी दुकान पर यदि बेसन खरीदना हो तो इसे अलग से स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है और यह आशय अन्तर्निहित होता है कि बेसन का अर्थ चने की दाल का पिसा हुआ आटा है । मटर दाल को पीस कर न तो सामान्यत: आटा बनाया जाता है, न ही बाजार में मटर दाल के पाउडर की बिक्री की जाती है और न ही कामन पारलेन्स में मटर की दाल को पीसने से जो वस्तु बनती है उसे बेसन कहा जाता है । अत: मटर दाल को पीस कर बेसन का निर्माण नहीं होता है अत: पूछा गया प्रश्न मूलत: ही गलत है तथा मटर दाल को पीस कर बनने वाली वस्तु न ही बेसन है और न ही बेसन के अन्तर्गत कर मुक्त होगी ।

......2

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि साधारण बोल-चाल की भाषा में या कामन पारलेन्स में कोई भी व्यक्ति मटर की दाल के पाउडर को बेसन नहीं कहता है। केवल चने की दाल के पाउडर को ही बेसन कहा जाता है। सर्वश्री PUMA AYURVEDIC HERBAL (P.) LTD. v. COMMISSIONER, CENTRAL EXCISE, NAGPUR, dt. March 8, 2006 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कामन पारलेन्स के आधार पर किसी वस्तु की करदेयता निर्धारित करने को उचित माना गया है। यही नहीं केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत भी मटर को सम्मिलित नहीं किया गया है। अत: उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-36 के अन्तर्गत वर्णित बेसन के अन्तर्गत मटर की दाल का पिसा हुआ पाउडर नहीं आता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 के अन्तर्गत कहीं पर भी मटर दाल से निर्मित पाउडर को सम्मिलित नहीं किया गया है। अत: **मटर दाल से निर्मित पाउडर (जिसे व्यापारी द्वारा बेसन बताया जा रहा है)** पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 26 जुलाई, 2011

ह0 / 26.07.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।